हाफ़िज़ वशी अहमद

बनाम

कुतुबुद्दीन एवं अन्य

24 सितंबर, 1996

[के. रामास्वामी, के. वेंकटस्वामी एवं जी.बी. पटनायक, न्यायमूर्तिगण]

निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950:

धारा 28 एवं 46—निष्क्रांत संपत्ति के अभिरक्षक में संपत्ति का निहित होना—अपीलकर्ता द्वारा निष्क्रांत संपत्ति के अभिरक्षक में निहित भूमि के एक भाग तथा उस पर स्थित संरचना पर उपहार के आधार पर विशिष्ट अधिकार का दावा—अपीलकर्ता द्वारा निषेधाज्ञा वाद—विचारण न्यायालय का मत कि यह प्रश्न कि संपत्ति अपीलकर्ता के विशिष्ट कब्जे में थी या निष्क्रांत संपत्ति के अभिरक्षक में निहित थी, वाद के परीक्षण के समय निर्धारित किया जाना है—पुनरीक्षण याचिका में उच्च न्यायालय का मत कि धारा 28 एवं 46 के प्रवर्तन से विवादित संपत्ति निष्क्रांत संपत्ति के अभिरक्षक में निहित हो गई और वाद संधार्य नहीं है—अभिनिर्धारित, विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण सही था—उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त —विचारण न्यायालय का आदेश पुष्टि किया जाता है—मामला पुनः विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाता है ताकि इस तथ्य का निर्णय किया जा सके कि क्या संपत्ति वास्तव में वादी-अपीलकर्ता की है, जैसा कि उसका दावा है।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1980 की दीवानी अपील संख्या 1007

दिनांक 7.11.74 के निर्णय एवं आदेश, जो पटना उच्च न्यायालय द्वारा 1974 की सी.आर. संख्या 300 में पारित किया गया, से।

अपीलकर्ता की ओर से: सैयद अली अहमद, तनवीर अहमद एवं मोहन पांडे। राज्य की ओर से: डी. गोवर्धन।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील पटना उच्च न्यायालय द्वारा 7 नवंबर, 1974 को सी.आर. संख्या 300/74 में दिए गए निर्णय से उत्पन्न होती है। अपीलकर्ता ने उत्तरदाता को संपत्ति के एक भाग—जिसका प्लॉट संख्या 1323 है—तथा उस पर स्थित संरचना के संबंध में अपने कब्ज़े और उपभोग में हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर

किया। अपीलकर्ता का यह दावा था कि यद्यपि प्लॉट संख्या 1499, जो खाता संख्या 246 के अंतर्गत तथा तौज़ी संख्या 3274 से संबंधित है, को निष्क्रांत संपत्ति घोषित किया गया था, तथापि जिस मकान के संबंध में अपीलकर्ता ने दावा किया है, वह प्लॉट संख्या 1499 में स्थित खाता संख्या 263 के एक भाग में है और उसी तौज़ी संख्या से संबंधित है, तथा वह उसी का है। विद्वान मुंसिफ़ ने यह मत ग्रहण किया कि वाद की सुनवाई में यह प्रश्न निर्णीत किया जाना आवश्यक है कि खाता संख्या 263 वाली संपत्ति, यद्यपि प्लॉट संख्या 1499 तथा उसी तौज़ी संख्या 3274 में स्थित है, क्या अपीलकर्ता की विशिष्ट संपत्ति है या वह निष्क्रांत संपत्ति के संरक्षकत्व में निहित नहीं है। उत्तरदाता द्वारा उठाई गई आपत्ति अस्वीकार कर दी गई। पुनरीक्षण में, उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 की धाराओं 28 एवं 46 के प्रवर्तन से भूमि और भवन निष्क्रांत संपत्ति के संरक्षकत्व में निहित हो गए हैं और, अतः, वाद संधार्य नहीं है। जब यह मामला विशेष अनुमति हेतु इस न्यायालय के समक्ष आया, तो अधिवक्ताओं की ओर से यह कहा गया कि प्लॉट संख्या 1499 पर स्थित मकान या संरचना केवल एक भाग है और प्लॉट संख्या 1323 के किसी भाग या उस पर स्थित किसी संरचना के संबंध में निष्क्रांत संपत्ति का कोई दावा नहीं है। अतः, इस न्यायालय ने प्लॉट संख्या 1499 के संबंध में बेदखली के प्रश्न पर विशेष अनुमति प्रदान की।

इस तथ्य को देखते हुए कि अपीलकर्ता ने विवादित संपत्ति के संबंध में विशिष्ट स्वत्व का दावा किया है, न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह इस प्रश्न की जाँच करे कि क्या वह भूमि का वह भाग, जिसे निष्क्रांत संपत्ति घोषित किया गया था और जो निष्क्रांत संपत्ति के संरक्षकत्व में निहित था, उसका हिस्सा है या कथित उपहार के आधार पर अपीलकर्ता की विशिष्ट संपत्ति है। यह तथ्य का प्रश्न है, जिसका निर्णय वाद की सुनवाई में किया जाना आवश्यक है, इससे पूर्व कि यह विचार किया जाए कि भूमि निष्क्रांत संपत्ति के संरक्षकत्व में निहित थी या नहीं। यदि विद्वान जिला मुंसिफ़ यह पाएँ कि वाद की संपत्ति निष्क्रांत संपत्ति है और अनिवार्य रूप से निष्क्रांत संपत्ति के संरक्षकत्व में निहित है, तो दीवानी वाद संधार्य नहीं होगा। दूसरी ओर, यदि यह निष्कर्ष निकले कि वह निष्क्रांत संपत्ति का भाग नहीं है, तो अनिवार्यतः यह विचार किया जाएगा कि दावा की गई निषेधाज्ञा प्रदान की जानी चाहिए या नहीं। जिन सभी तथ्यों की जाँच आवश्यक है, उनका परीक्षण वाद की सुनवाई में किया जाना चाहिए।

हमारा मानना है कि विचारण न्यायालय का निर्देश सही था। अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है और विचारण न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। यह मुद्दा व्यापक है। मामला विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाता है।

चूंकि मुकदमा दो दशकों से अधिक समय से लंबित है, इसलिए विचारण न्यायालय को इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर मुकदमे का निस्तारण करने का निर्देश दिया जाता है। कोई व्यय नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

आर. पी.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।